न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 37/2017/डिक्री

1. गिरिराज पिता लालसिंह राजपूत
2. नवनीतसिंह पिता लालसिंह राजपूत
3. किर्ती कंवर पिता लालसिंह राजपूत

तीनो निवासी भैसरोडगढ हाल मुकाम सविता कॉलोनी निम्बाहेडा

–अपीलान्टस

बनाम

1. जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
दिनांक 11/07/2016 प्रकरण संख्या 26/2011

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 23.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण अपीलान्टस ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा भैसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा की साबिक आराजी नम्बर 553/4 ख रकबा 2.10 है0 जो अपीलान्टस के पिता लालसिंह पिता कुबेरसिह के खातेदारी मे दर्ज थी जो विरासतीय नामान्तकरण संख्या 105 दिनांक 24/12/2010 से उक्त आराजीयात अपीलान्टस एवं माता ललीताकंवर के नाम पर दर्ज हुई उसके पश्चात् दिनांक 10/02/2011 को ललिताकंवर का स्वर्गवास हो जाने से उक्त आराजीयात अपीलान्टस के नाम पर दर्ज रिकार्ड की गयी व उसके पश्चात् मौजा भैसरोडगढ तहसील रावतभाटा का भू–प्रबन्ध किया गया। भू–प्रबन्ध के तहत अपीलान्टस के खातेदारी मे दर्ज आराजी नम्बर 553/4 ख रकबा 2.10 है0 के नवीन आराजी नम्बर 1427 रकबा 1.40 है0 दर्ज कर 0.70 है0 रकबा कम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्टस साबिक रकबे के अनुसार 2.10 है0 भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते

चले आ रहे है जिससे अपीलान्टस वादीगण 2. 10 है0 रकबा दर्ज कराये जाने के अधिकारी थे जिसके सम्बन्ध मे अपीलान्टस ने दस्तावेजी साक्ष्य भी दावे के साथ प्रस्तुत किये गये व उक्त पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत होकर कायमी तनकीयात हेतु नियत था, व उक्त पत्रावली मे 11/07/2016 को पत्रावली लोक अदालत मे नियत की जाकर यह मानते हुए अपीलान्टस वादीगण अपने रकबे को संशोधित कराये जाने के अधिकारी नही है के आधार पर वादपत्र किये जाने की निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलान्टस वादीगण अपने पिता खरीदशुदा रकबा 2.10 है0 पर अपने पिता के जीवनकाल से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व उसी अनुसार अपीलान्ट वादीगण साबिक रकबे के अनुसार 2.10 है0 रकबा दर्ज कराये जाने के अधिकारी थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि अपीलान्टस वादीगण अपने रकबे को संशोधित कराने के अधिकारी नही है मानते हुए लोक अदालत के तहत वादपत्र निरस्त किये जाने की डिक्री पारित कर दी जो निरस्त योग्य है। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे दोनो पक्ष उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा चाहते हो। जबकि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे पक्षकारान की ओर से किसी प्रकार का कोई राजीनामा नही हुआ फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत वादीगण अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को लोक अदालत की किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गयी एवं न ही अपीलान्टस लोक अदालत मे उपस्थित हुआ। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20/01/2017 को अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर जानकारी करने से हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 31/01/2017 को प्राप्त हुयी। फिर भी अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11/07/2016 निरस्त फरमाया जाकर वादीगण अपीलान्टस का वादपत्र गुणावगुण पर निर्णित कराये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि इस प्रकरण मे विस्तृत निर्णय पारित नही किया गया है। पत्रावली तनकी स्टेज पर थी जिसे बिना उभयपक्ष की सहमति के लोक अदालत मे तारीख तय निर्णित कर दिया गया। जो विधिसम्मत नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक द्वारा बयान किया गया कि लोक अदालत की मंशा सस्ता एवं सुलभ न्यायालय उपलब्ध कराना है। इसी के तहत उक्त निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बसह उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आपसी सहमति के प्रकरण लोक अदालत मे निर्णित किया गया जो विधिसम्मत नही है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा प्रकरण संख्या 26/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 11/07/2016 को अपास्त किया जाकर उभयपक्षो की पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़